


13/5/18

पत्रावली पेश हुई। वकील उपस्थित थे।
पत्रावली वकील के जिस्ट वापी हेतु मीमा-
न्धी मापदंडों में मीमा दिव्य 2018 वाले
जिस्ट वापी पत्रावली दिनांक 8/5/18 को पेश
है। -

27/5/18

पत्रावली पेश हुई। वकील उजयप्रकाश उपस्थित
प्रकरण के निर्णय हेतु न्याय आयोग द्वारा 2018
के अन्तर्गत राजस्व लोक संपत्ति हेतु रेफर किया जाता है।
पक्षकारान की लोक संपत्ति में उस्थिति हेतु नोटिस जारी
करें। पत्रावली दिनांक 7-5-18 को कैम्प
में पेश हो 

7/5/18

पत्रावली राजस्व लोक संपत्ति, 2018 के
कैम्प जो लिये गये पेश हुई। इनके पत्रावली
पर उपलब्ध समाप्त दस्तावेजों का
आयोग द्वारा अवलोकन किया। इससे एक
बेल निवृत्त पर पहुंचे हैं कि उनका
के मूल विवाद वाले से सम्बन्धित
है। यह आर्कजिक रिट से जुड़ा हुआ



मात्राला है। उक्त की कमिश्नरियात को देखते हुये पीठासीन अधिकारी एवं डेप्युटी प्रभारी द्वारा पटवारी लक्ष्मी के साथ गुजरा जिल्ला से किरानपुर, पृथ्वीपुरा व जमपुरा की ओर जा रहे यात्रे का श्रेक देल गया। श्रेक के लक्ष्मीलक्ष्मी जमपुरा से रिपोर्ट ली गई। अतिरिक्त रिपोर्ट लक्ष्मी से खसरा क्रियां ख.क्र. 230, 499/858, 492, 440, 442, 443, 431 व 428 की पश्चिमी ओर के खसरा के व ख.क्र. 427, 424, 423, 419, 418, 415 के अर्थ के व 415 की दक्षिणी दिशा व 398 व 399 से लेकर 10 फीट चौड़ा यात्रे का हुआ है, जो कच्चा है व उक्त यात्रे के फाके में आवरत है। अतिरिक्त के अलावा कि उक्त रास्ता 3000 से कम में छा रहा है। अतः उक्त यात्रे का अन्य कोई विकल्प नहीं है। अतिरिक्त के श्रेक पर उक्त यात्रे चालू है। श्रेक रिपोर्ट के अस्पष्ट हैं कि उक्त यात्रे के अलावा जिल्ला, किरानपुर, पृथ्वीपुरा व लक्ष्मी के अतिरिक्त अतिरिक्त हित जुड़े हुये हैं। उक्त यात्रे का अन्य कोई विकल्प की उपलब्ध नहीं है। अतिरिक्त द्वारा धारा 188 RTA के अन्तर्गत अपना नद प्रेष किया गया है जबकि उक्त प्रकार यात्रे के अतिरिक्त के अतिरिक्त है। अतः उक्त यात्री लक्ष्मी श्रेक नहीं होने से अतिरिक्त कर खातिर कि जके के अतिरिक्त प्रदान किने जाते हैं। पत्रावली फैसला हुआ है। डिप्टी फार्म प्रेषक के जारी किया गया। पत्रावली दक्षिण दफतर है।

3/5/18

